मुख्य अभियंता का कार्यालय
केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

विज्ञापन

बिहार तकनीकी सेवा के सेवानिवृत्त शोध सहायक/सहायक शोध पदाधिकारी को संविदा के आधार पर मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना में नियोजन हेतु :–

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना में शोध सहायक के 20 पद एवं सहायक शोध पदाधिकारी के 15 रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक 10.07.2015 ज्ञा०सं०–15572 दिनांक 07.12.2017 एवं पत्र संख्या–3815, दिनांक 11.03.2016 एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत बिहार तकनीकी सेवा के इच्छुक सेवानिवृत्त शोध सहायक/सहायक शोध पदाधिकारी से निम्नांकित शर्तो पर आवेदन आमंत्रित किए जाते है :–

1. चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक जो पहले हो के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।
3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों का अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरण को कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. आरक्षण :– राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के साथ–साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती/नाती–नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
6. उक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढाई जा सकती है।
7. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि :–
   (क) उनके विरुद्ध कोई निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।
   (ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
   (ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।
   (घ) उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
8. आवेदक द्वारा सेवा के अंतिम पाँच वर्षो की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति (यदि उपलब्ध हो) आवेदन के साथ संलग्न की जानी है।
9. नियोजन के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य–चिकित्सा–सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
10. चयत समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।
11. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दिनांक 11.03.2016 एवं अन्य अद्यतन परिपत्रों में निर्धारित मापदडों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
12. राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनु०जाति/अनु०जनजाति के अभ्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त पी०पी०ओ० की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा।

13. इच्छुक सेवानिवृत्त शोध सहायक/सहायक शोध पदाधिकारी अपना पूर्ण विवरण विहित प्रपत्र (संलग्न) में हाथों–हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से दिनांक 23.01.2018 अप० 05 बजे तक मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग में जमा करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नही किया जायेगा। संबंधित सूचना मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है। बिना किसी कारण बताये विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

26.12.17

मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय निरुपण संगठन,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

26/12/17

बिहार तकनीकी सेवा के सेवानिवृत्त शोध सहायक/सहायक शोध पदाधिकारी का संविदा के आधार पर मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरुपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में नियोजन हेतु आवेदन प्रपत्र :–

विहित–प्रपत्र

1.	आवेदक (सेवानिवृत्त शोध सहायक/सहायक शोध पदाधिकारी) का नाम, मोबाईल सं०, Email ID	:–	फोटो
2.	अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम	:–	
3.	जन्म तिथि	:–	
4.	लिंग (पुरुष/महिला)	:–	
5.	शैक्षणिक योग्यता	:–	
6.	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है ? यदि हाँ तो कोटि (जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
7.	वर्त्तमान पता	:–	
8.	स्थायी पता	:–	
9.	नियुक्ति की तिथि (शोध सहायक/सहायक शोध पदाधिकारी पद पर)	:–	
10.	सेवानिवृत्ति की तिथि	:–	
11.	विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ है।	:–	
12.	विभिन्न विभागों में शोध सहायक/सहायक शोध पदाधिकारी के पद पर अलग–अलग कार्यानुभव की अवधि।	:–	
13.	पी०पी०ओ० संख्या (पी०पी०ओ० का अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)	:–	
14.	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं।	:–	
15.	सेवाकाल के दंड	:–	

मै घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है। यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई के लिए सक्षम है।

तिथि :–

स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर